राजस्व वाद संख्या–192 / 2021
जीसीएमएस संख्या – 2021 / 00550
गोरूराम बनाम आशीष आदि
निर्णय दिनांक:– 04/04/23

राजस्थान सरकार

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं</u>

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

1. गोरूराम चावला पुत्र मुखराम उम्र 71 वर्ष जाति खटीक निवासी खेतड़ी नगर हाल आबाद बनवास पोस्ट खेतड़ी नगर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........वादी

बनाम

1. आशीष पुत्र मोहसिंह उम्र 25 वर्ष जाति मेघवाल निवासी झारोड़ा तहसील बुहाना
2. गोपी पुत्र नागर उम्र 35 वर्ष जाति खटीक निवासी गुजरवास हाल आबाद खटीकान मोहल्ला सिंघाना तहसील बुहाना
3. पवन कुमार पुत्र नागर उम्र 23 वर्ष जाति खटीक निवासी गुजरवास हाल आबाद खटीकान मोहल्ला सिंघाना तहसील बुहाना
4. विजय कुमार पुत्र नागर उम्र 21 वर्ष जाति खटीक निवासी गुजरवास हाल आबाद खटीकान मोहल्ला सिंघाना तहसील बुहाना
5. शारदा पत्नी नागर उम्र 65 वर्ष जाति खटीक निवासी गुजरवास हाल आबाद खटीकान मोहल्ला सिंघाना तहसील बुहाना
6. भूमिधारक तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांक :– 04/04/23

(1). वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि वाके ग्राम गुजरवास स्थित भूमि हाल ख.नं. 616 / 501 रकबा 0.82 है. कुल किता 1 कुल रकबा 0.82 है. स्थित है, में से वादी का 11 / 41 हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। समस्त प्रतिवादीगण की तामील सम्यक प्राप्त हुई।

(3). वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 (ग्राम गुजरवास खाता संख्या 36) व नकल नक्शा ट्रेश की प्रतिलिपि पेश किये गये।

(4). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। [illegible] विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर Ex Party करार देकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(5) खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार [illegible] न्यायालय वाद वादीग[illegible] खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2022 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 09.03.2023 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम गुजरवास स्थित भूमि हाल ख.नं. 616 / 501 रकबा 0.82 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 04/04/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं–192/2021
निर्णय दिनांक– 04/04/23

गोरूराम **बनाम** आशीष आदि
दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री सुरेश कटारिया एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/04/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। वाके ग्राम गुजरवास स्थित भूमि हाल ख.नं. 616/501 रकबा 0.82 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श " ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/04/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:53:15 IST
Reason: SelfAttested